



पत्रांक संख्या: ग.वि.वि./प्रशासन/2023/4413

दिनांक : 03/06/2023

अधिसूचना (Notification)

विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त नियमित/दैनिक नियत वेतन एवं उनके पात्र आश्रितों तथा विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त ऐसे कामिकों जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के उपरान्त भारत सरकार से पेन्शन आहरित कर रहे हैं उन्हें एवं उनके पात्र आश्रितों को विजय डेन्टल क्लीनिक, श्रीनगर गढ़वाल व हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के मध्य सी.जी.एच.एस. में निहित प्राविधानों के तहत हुए अनुबन्ध के आधार पर चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त प्रदान की जाती है।

चिकित्सा उपचार व्यय सम्बन्धित कार्मिकों/सेवा निवृत्त कार्मिकों द्वारा स्वयं भुगतान किया जायेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, विजय डेन्टल क्लीनिक, श्रीनगर गढ़वाल।
2. निदेशक, टिहरी/पौड़ी/चौरास।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/नियन्ता/परीक्षा नियंत्रक/पुस्तकालयाध्यक्ष।
4. निदेशक आई.क्यू.ए.सी./एच.ए.पी.पी.आर.सी./क्रीडा परिषद।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।
6. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
7. प्रभारी, सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर सेन्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. निजी सचिव, कुलपति माननीय कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
9. निजी सचिव, प्रति कुलपति/वित्त अधिकारी/कुलसचिव।
10. गार्ड फाइल।

03.06.2023
कुलसचिव
Raj